



## ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

सरकार मिसल ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....जिला.....राजस्थान  
 दायर संख्या.....सौगाह.....  
 दिनांक दायर.....  
 दिनांक फैसल.....

### अनवान

फैसला :—सरपंच,  
 ग्राम पंचायत.....  
 पंचायत समिति.....  
 इल्लत / दावा इजराय.....

### सूची कागजात

क्र0सं0	कागजातकाव्यौरा	किता	योग	हस्ताक्षर कागजात लेने वाले
1	सरकार	1	1	
2	प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय संलग्न आवश्यक दस्तावेज	1 एवं मय दस्तावेज	2	
3	आज्ञाओं की सूची	3	5	
4	निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण	3	8	
5	आपत्ति आमन्त्रित नोटिस (उजरदारी पत्र )	1	9	
6	अनापत्ति प्रमाण पत्र	2 एवं भाईयों के अनुसार	11	
7	फैसलाफार्म	2	13	
8	पुराने गृहों का विनियमितिकरण पट्टा प्रतिलिपि	1	14	

पुराने गृहों का विनियमितिकरण ( पैतृक विरासत में प्राप्त मकान का पट्टा चाहने बाबत प्रार्थना पत्र )  
सेवामें,

श्रीमान् सरपंचमहोदय,

ग्राम पंचायत.....

पंचायत समिति.....

विषय :—पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा जारी कराने बाबत

प्रार्थी का नाम.....पिता / पति का नाम.....

जाति.....निवासी.....

ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....जिला.....राजस्थान

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि मुझ प्रार्थी का मकान निम्नलिखित सीमाविस्तार में स्थित है :-

पूर्व दिशा	
पश्चिम दिशा	
उत्तर दिशा	
दक्षिण दिशा	

यह है कि मुझ प्रार्थी का पैतृक मकान का आज दिनांक..... से पूर्व मैने या मेरे पूर्वजों ने या मेरे भाईयों के द्वारा किसी संस्था या रियासत राजपुताना से पट्टा प्राप्त नहीं किया है।

यह है कि मुझ प्रार्थी के इस पैतृक मकान या गैर सरकारी संस्था अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या सेठ साहुकार से ऋण प्राप्त कर बतौर रहन नहीं रखा है एवं नहीं किसी को बैचान किया है।

यह है कि मेरे इस पैतृक मकान को लेकर या इसकी चतुर्थ सीमा को लेकर किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं है। एवं नहीं कोई वाद लम्बित है।

यह है कि मेरा पैतृक मकान ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्थित है। जिसका आराजी खसरा नम्बर...  
.....रकबा.....आबादी रिकार्ड दर्ज है। मुझ प्रार्थी का पैतृक विरासत में प्राप्त मकान पूर्ण रूप से शुद्ध होकर हर प्रकार के भार व ऋण से मुक्त है। मुझ प्रार्थी का एकल रूप से स्वत्व एवं स्वामित्व है। जिसका मै पुराने गृहों के विनियमितिकरण नियम के तहत पट्टा बनवाना चाहता हूँ।

अतः मुझ प्रार्थी को नियमानुसार पट्टा जारी करवाने की कृपा करावे। मै पंचायत की नियमानुसार शुल्क राशि जमा कराने को सहमत हूँ।



## ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

पुराने गृहों का विनियमितिकरण ( पैतृक विरासत में प्राप्त मकान का पट्टा चाहने बाबत प्रार्थना पत्र ) के साथ लगने वाली चेक लिस्ट

1. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
2. स्वयं की आई0डी0 प्रुफफोटोप्रति प्रमाणित यथा आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट इत्यादि
3. परिवार राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति
4. स्वयं के पासपोर्ट साईज चार रंगीन फोटो
5. पुराने नल अथवा बिजली के बिल की प्रमाणित प्रति
6. गृह की वर्तमान् स्थिति को दर्शाते हुए तीन त्रिविमिय रंगीन फोटोग्राफ साइज 4" x 6"
7. अनापत्ति प्रमाण पत्र माता—पिता, भाईयों, पड़ोसियों का
8. यदि बाप दादा स प्राप्त मकान हो तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति मय प्रमाणित सजरा
9. मकान का ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शा
10. 65 वर्ष से अधिक उम्र के दो व्यक्तियों के बयान फार्म मय फोटो एवं आई0डी0प्रुफ फोटो प्रति
11. पुराने गृहों का विनियमितिकरण के संबंध में तीन पंचों का निरीक्षण प्रपत्र
12. प्रार्थी का स्वघोषणा शपथ पत्र व 65 वर्ष से अधिक उम्र के दो व्यक्तियों गवाह के रूप में हस्ताक्षर शुदा। नोटेरी प्रमाणित किया हों।
13. आपत्तियों को मांगने का प्रपत्र जिस पर अंकित हो कि उसकों कहां चर्स्पा किया गया है तथा प्रमाण स्वरूप मोतवीर पड़ोसियों के हस्ताक्षर शुदा हो।

नोट :— 1. खरीदे गये मकान का बापी पट्टा नहीं बनाया जावेगा ।

2. यदि मकान चरनोट/बिलानाम भूमि पर बना हो तो पट्टा नहीं बनाया जावेगा ।
3. बाड़े का पट्टा डी0एल0सी0 दर पर ही बनाया जावेगा ।
4. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों एवं संस्थानों के बापी पट्टे जारी नहीं किये जावेगें ।
5. कृषि भूमि से परिवर्तित आबादी भूमि पर बने मकानों का बापी पट्टा जारी नहीं होगा ।
6. देवस्थान की भूमि के मकान या देवस्थान का पट्टा नहीं बनाया जावेगा ।

### शपथ—पत्र

मैं कि श्री / श्रीमती..... पिता / पति का नाम.....

जाति.....निवासी.....

ग्राम पंचायत.....पटवार हल्का का आबादी क्षेत्र.....तहसील.....जिला..

.....राजस्थान हलफ से बयान करता हूँ कि :—

कि ग्राम.....का निवासी हूँ।

1. कि मैंने जिस पुराने गृह का विनियमितिकरण के तहत पट्टा हेतु ग्राम पंचायत से निवेदन किया है यह गृह पंचायत क्षेत्र के ग्राम.....की आबादी भूमि के खसरा नम्बर.....में स्थित है।
2. कि इस गृह पर मेरा स्वयं का कब्जा है तथा इसको मैंने बटवारें/विरासत से प्राप्त है। इस पर हमारे परिवार का कब्जा ( 30 दिसम्बर 1996 से ) 50 वर्षों से कम/अधिक पुराना है।
3. कि इस गृह का (पुश्तैनी) भाई बटवारा कर लिया है। अन्य किसी का हक हिस्सा नहीं है। इसके लिए मैं ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूँ।
4. कि इस गृह के विनियमितिकरण के तहत पट्टा जारी करने से किसी भी नागरिक के सुखाचार व सुविधाओं, सुन्दरता, सफाई के संबंधी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।
5. कि यह गृह मुख्य रैल लाईन से.....फीट है/ राष्ट्रीय राजमार्ग की मध्य रेखा से.....फीट है/ राज्य राजमार्ग अथवा अन्य जिला सड़कों की मध्य रेखा से.....फीट दूरी पर स्थित है।
6. कि इस गृहों को मैंने / मेरे पिताजी / मेरे भाईयों में से किसी ने भी पूर्व में किसी प्रकार का कोई पट्टा जारी नहीं कराया है।
7. कि यह गृह समस्त न्यायालय विवादो से रहित है, अर्थात् इस गृह के संबंध में कोई विवाद न तो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, माननीय न्यायालय में चल रहा है।
8. कि इस गृह के संबंध में विवाद होता है तो इसके लिए केवल और केवल मैं ही / मेरा परिवार उत्तरदायी है।

9. कि मुझ शपथकर्ता को उक्त गृह का पट्टा चाहने के संबंध में राज्य सरकार/जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत की सभी शर्तें मान्य होगी।
10. कि इस गृह के संबंध में उपरोक्त कॉलम संख्या 1 से 10 लगातार में अंकित तथ्य सत्य एवं सही है। यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है, तो पट्टा निरस्त करनें का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा। इस गृह के चतुर्दिशा में स्थित पड़ोसियों का ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से है :-

पूर्व दिशा	
पश्चिम दिशा	
उत्तर दिशा	
दक्षिण दिशा	

हस्ताक्षर शपथकर्ता

#### सत्यापन

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त शपथ—पत्र में अंकित कॉलम संख्या 1 से 10 तक के तथ्य लगातार अंकित होकर पूरे होश—हवास में रहकर ग्राम पंचायत को लिखकर देता हूँ साथ ही इसमें कोई गलत तथ्य/दोषी होने पर ग्राम पंचायत को पट्टा निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसे मुझे एवं मेरे परिवार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

#### गवाह

हमारे सामने उपरोक्त शपथ—पत्र लिखा तथा शपथपूर्वक प्रार्थी (शपथकर्ता) के द्वारा घोषणा की गई है, साथ ही हमारे सामने बयान के अनुसार यह गृह पुश्तैनी/बापौती से प्राप्त है तथा प्रार्थी (शपथकर्ता) का कब्जा हैं एवं यह गृह ( 30 दिसम्बर 1996 से ) 50 वर्षों से कम/अधिक पुराना है। अतः प्रार्थी (शपथकर्ता) को पट्टा देने की सिफारिश हमारे द्वारा की जाती है।

1. श्री / श्रीमती.....पिता / पति.....  
जाति.....उम्र( 65 वर्षों से अधिक).....लगभग निवासी  
.....ग्राम पंचायत.....तहसील.....  
जिला.....राजस्थान व्यवसाय.....हस्ताक्षर.....
2. श्री / श्रीमती.....पिता / पति.....  
जाति.....उम्र( 65 वर्षों से अधिक).....लगभग निवासी  
.....ग्राम पंचायत.....तहसील.....

जिला.....राजस्थान व्यवसाय.....हस्ताक्षर.....

..



## ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

आबादी भूमि में स्थित पुराने गृहों का विनियमितिकरण हेतु निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र  
पट्टा कार्यवाही के राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 146 स्थल निरीक्षण – पुराने गृहों का  
विनियमितिकरण हेतु पट्टे संबंधित पंचों ( सदस्यों ) की रिपोर्ट

पट्टा मिसल संख्या..... वर्ष.....

आज दिनांक..... को हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता (मनोनीत सदस्य )

- |                                  |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. वार्ड पंच श्री / श्रीमती..... | वार्ड संख्या..... | ग्राम पंचायत..... |
| 2. वार्ड पंच श्री / श्रीमती..... | वार्ड संख्या..... | ग्राम पंचायत..... |
| 3. वार्ड पंच श्री / श्रीमती..... | वार्ड संख्या..... | ग्राम पंचायत..... |

प्रार्थी का नाम..... पिता / पति का नाम.....

जाति..... निवासी.....

ग्राम पंचायत..... पंचायत समिति..... जिला..... राज0 के आवेदन

पत्र बाबत पुराने गृह का विनियमितिकरण का पेश होने पर देखा गया जो निम्न प्रकार से हैः–

भूमि / स्थान वाके..... ग्राम ..... में स्थित है।

1. क्या आवेदित आवेदित पुराने गृह का विनियमितिकरण ग्रामीणों द्वारा आने-जाने के लिए उपर्युक्त सुविधाओं को प्रभावित करेगा ?	
2. क्या आवेदित पुराने गृह का विनियमितिकरण अन्य ग्रामीणों के सुखाचार संबंधी अधिकारों को प्रभावित करेगा ?	
3. क्या आवेदित पुराने गृह का विनियमितिकरण परिक्षेत्रकी सुन्दरता / सफाई को प्रभावित करेगा ?	
4. क्या इस पुराने गृह का स्वामित्व विवादग्रस्त है ?	
5. क्या इस पुराने गृह का स्वामित्व के संबंध में माननीय न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है ?	
6. क्या इस पुराने गृह का स्वामित्व (कब्जा) प्रार्थी का	

है ?	
<p>7. यह पुराने गृह का विनियमितिकरण</p> <p>(अ) रेल्वे लाईन से 100 फीट से अधिक/कम दूरी पर है ?</p> <p>(ब) राष्ट्रीय राजमार्ग की मध्य रेखा से 150 फीट से अधिक/कम दूरी पर है ?</p> <p>(स) राज्य राजमार्ग की मध्य रेखा से 75 फीट से अधिक/कम दूरी पर है ?</p> <p>(द) अन्य जिला सड़कों एवं गांवों की सड़कों की मध्य रेखा से 50 फीट से अधिक/कम दूरी पर है ?</p>	

इस गृह के चतुर्दिशा में स्थित पड़ोसियों का ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से है :-

पूर्व दिशा	
पश्चिम दिशा	
उत्तर दिशा	
दक्षिण दिशा	

खसरा नम्बर.....किस्म आबादी भूमि में स्थित है।

मूल्यांकन एवं विनियमितिकरण से संबंध में रिपोर्ट

1. इस पुराने गृह पर प्रार्थी का हक बदस्तुर है।
2. अतः इस गृह का विनियमितिकरण राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत कर दिया जावे। इति


वार्ड पंच का नाम	हस्ताक्षर
1.वार्ड पंच श्री / श्रीमती.....वार्ड संख्या.....ग्राम पंचायत.....	
2.वार्ड पंच श्री / श्रीमती.....वार्ड संख्या.....ग्राम पंचायत.....	
3.वार्ड पंच श्री / श्रीमती.....वार्ड संख्या.....ग्राम पंचायत.....	



## ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

आबादी भूमि में स्थित पुराने गृहों का विनियमितिकरण हेतु नजरी नक्शा आबादी भूमि  
पट्टा मिसल संख्या.....वर्ष.....

दिनांक.....को इस्तगासी(प्रार्थी) श्री / श्रीमती.....पिता / पति  
जाति.....निवासी.....  
ग्राम .....तहसील.....जिला.....राजस्थान का पुराना आवासीय पैतृक  
मकान जो कि ग्राम पंचायत.....के ग्राम.....मौहल्ला.....  
.....वार्ड संख्या..... में स्थित है, का आवासीय पैतृक मकान का पट्टा चाहने हेतु प्राप्त आवेदन  
को सरपंच महोदय की आज्ञा से कोरम की बैठक दिनांक.....में रखा गया। कोरम के  
निर्णय के अनुसार आज दिनांक.....को मौके पर मौका पर्चा रिपोर्ट मुर्तिब करने हेतु मौके पर  
वार्ड पंच/सरपंच/उपसरपंच/आस पड़ोसीयान/ गणमान्य व्यक्ति /सचिव महोदय उपस्थित हुए।  
मौके पर वार्ड पंच व आस—पास पड़ोसीयान/ग्रामीण/वार्ड पंच द्वारा बताया गया कि, आवेदक का मकान पैतृक विरासत  
में प्राप्त एवं पैतृक हिस्सेवार में प्राप्त प्रार्थी का मकान विवाद रहित एवं उसके एकल स्वामित्व है।  
प्रार्थी का पुराना आवासीय पैतृक मकान ग्राम पंचायत.....के आबादी भूमि में स्थित है।  
जिसका आराजी खसरा नम्बर.....रक्का.....राजस्व ग्राम.....आबादी  
रिकार्ड दर्ज है। मौका स्थिति के अनुसार निम्न नजरी नक्शा तैयार किया गया।



रिपोर्टिंग— प्रार्थी का मकान लगभग.....वर्ष पूर्व निर्मित है। उक्त मकान प्रार्थी का पैतृक  
मकान है तथा पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा जारी करने की अनुशंसा की जाती है।



## ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....जिला.....राजस्थान  
 आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमन्त्रित करने का नोटिस (उजरदारी पत्र)  
 क्रमांक :— दिनांक :—

जरिये हाजा इश्तियार के आप समस्त ग्राम..... व मौहल्ला.....  
 .....के निवासीयों एवं श्री / श्रीमती.....पिता / पति श्री.  
 .....जाति..... के भाई—भाईयों व पड़ौसीयों को सूचित किया जाता है कि  
 श्री / श्रीमती.....ने मौहल्ला.....वार्ड संख्या  
 .....में स्थित स्थानीय मकान, पैतृक विरासत में प्राप्त हो, एकल रूप से स्वामित्व का दावा करते  
 हुए इस कार्यालय से पटटा चाहने दिनांक.....को इस्तागासा प्रेषित किया है। अतः इस संबंध  
 में जिस किसी को, किसी भी प्रकार से आपत्ति हो तो इस कार्यालय को कार्यालय समय में लिखित  
 में मय कारण के आपत्ति पत्र मय साक्ष्य के साथ 07 दिन के भीतर प्रेषित करें, बाद मियाद गुजरने  
 पर प्रेषित आपत्ति अमान्य रहेगी।

सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार से है :—

पूर्व दिशा	
पश्चिम दिशा	
उत्तर दिशा	
दक्षिण दिशा	



अतः आज दिनांक.....को कोरम बैठक दिनांक.....के संकल्प संख्या.....के क्रम में  
 मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से दो प्रतियों में आपत्ति इश्तियार पत्र, एक प्रति मौके पर चर्चा हेतु  
 एवं एक प्रति पत्रावली शामिल करनें हेतु जारी किया जाता है।

## अनापत्ति प्रमाण पत्र फार्म

मैं श्री / श्रीमती ..... पिता / पत्निश्री ..... जाति ..... आयु .....  
वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला ..... वार्ड संख्या .....  
ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... राज0 का रहने वाला हूँ तथा  
यह बयान करता हूँ कि :—

- कि श्री / श्रीमती ..... पिता / पत्निश्री ..... जाति ..... आयु .....  
वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला ..... वार्ड संख्या .....  
ग्राम ..... का स्थानीय मकान, पैतृक विरासत में प्राप्त है, विवाद रहित एवं उसके स्वत्व  
एवं एकल स्वामित्व में है।
- कि इस पुश्तैनी मकान से गांव का कोई आम रास्ता व सुखाचार प्रभावित नहीं होता है।
- कि इस पुश्तैनी मकान की ..... दिशा की सीमा मेरी सम्पत्ति / मकान से लगवां है।

अतः उक्त पुश्तैनी मकान का पट्टा प्रार्थी श्री / श्रीमती ..... को दिया जाता है,  
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बयान में अपने होश हवास में बिना नशे पते के दे रहा हूँ।

दिनांक :—

हस्ताक्षर बयानकर्ता

## अनापत्ति प्रमाण पत्र फार्म

मैं श्री / श्रीमती ..... पिता / पत्निश्री ..... जाति ..... आयु .....  
वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला ..... वार्ड संख्या .....  
ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... राज0 का रहने वाला हूँ तथा  
यह बयान करता हूँ कि :—

- कि श्री / श्रीमती ..... पिता / पत्निश्री ..... जाति ..... आयु .....  
वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला ..... वार्ड संख्या .....  
ग्राम ..... का स्थानीय मकान, पैतृक विरासत में प्राप्त है, विवाद रहित एवं उसके स्वत्व  
एवं एकल स्वामित्व में है।
- कि इस पुश्तैनी मकान से गांव का कोई आम रास्ता व सुखाचार प्रभावित नहीं होता है।
- कि इस पुश्तैनी मकान की ..... दिशा की सीमा मेरी सम्पत्ति / मकान से लगवां है।

अतः उक्त पुश्तैनी मकान का पट्टा प्रार्थी श्री / श्रीमती ..... को दिया जाता है,  
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बयान में अपने होश हवास में बिना नशे पते के दे रहा हूँ।

दिनांक :—

हस्ताक्षर बयानकर्ता

## अनापत्ति प्रमाण पत्र फार्म

मैं श्री / श्रीमती.....पिता / पत्निश्री.....जाति.....आयु.....  
वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला.....वार्ड संख्या.....  
ग्राम.....तहसील.....जिला.....राज0 का रहने वाला हूँ तथा  
यह बयान करता हूँ कि :—

- कि श्री / श्रीमती.....पिता / पत्निश्री.....जाति.....आयु.....वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला.....वार्ड संख्या.....  
ग्राम.....का स्थानीय मकान, पैतृक विरासत में प्राप्त है, विवाद रहित एवं उसके स्वत्व एवं एकल स्वामित्व में है।
- कि आवेदक पट्टा प्रार्थी से मेरा संबंध.....का है।
- कि इस पुश्तैनी मकान से गांव का कोई आम रास्ता व सुखाचार प्रभावित नहीं होता है।  
अतः उक्त पुश्तैनी मकान का पट्टा प्रार्थी श्री / श्रीमती.....को दिया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बयान में अपने होश हवास में बिना नशे पते के दे रहा हूँ।

दिनांक :—

हस्ताक्षर बयानकर्ता

## अनापत्ति प्रमाण पत्र फार्म

मैं श्री / श्रीमती.....पिता / पत्निश्री.....जाति.....आयु.....  
वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला.....वार्ड संख्या.....  
ग्राम.....तहसील.....जिला.....राज0 का रहने वाला हूँ तथा  
यह बयान करता हूँ कि :—

- कि श्री / श्रीमती.....पिता / पत्निश्री.....जाति.....आयु.....वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला.....वार्ड संख्या.....  
ग्राम.....का स्थानीय मकान, पैतृक विरासत में प्राप्त है, विवाद रहित एवं उसके स्वत्व एवं एकल स्वामित्व में है।
- कि आवेदक पट्टा प्रार्थी से मेरा संबंध.....का है।
- कि इस पुश्तैनी मकान से गांव का कोई आम रास्ता व सुखाचार प्रभावित नहीं होता है।  
अतः उक्त पुश्तैनी मकान का पट्टा प्रार्थी श्री / श्रीमती.....को दिया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बयान में अपने होश हवास में बिना नशे पते के दे रहा हूँ।

दिनांक :—

हस्ताक्षर बयानकर्ता



## ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....जिला.....राजस्थान  
पत्रावली संख्या.....सन् / सम्वत्.....सोगाह इन्तजामी / .....

---



---



---

फैसला (निर्णय) प्रस्ताव संख्या.....दिनांक.....आज यह मामला वास्ते निर्णय ग्राम पंचायत हाजा के इजलास में रुबरु सरपंच/सदस्यों के समक्ष पंचायत कोरम में पेश हुआ।

मामले का संक्षिप्त विवरण तथा साक्षियों का कथन निम्न प्रकार है :-

1. प्रार्थी के द्वारा रा०प०रा०नियम 1996 के नियम संख्या 157 (1) के तहत पैतृक विरासत में प्राप्त मकान का पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत पट्टा चाहने बाबत प्रार्थना पत्र मय साक्ष्य हेतु आवश्यक दस्तावेज के नियम 145 के अनुसार पेश किया गया, जो शामिल मिसल है।
2. रा०प०रा०नियम, 1996 के नियम 146 के तहत मौका रिपोर्ट दिनांक.....को ली गई, जो शामिल मिसल हैं।
3. रा०प०रा०नियम, 1996 के नियम 148 के तहत पंचायत द्वारा दिनांक.....को 07 योम का आक्षेप मांगने हेतु आपत्ति नोटिस (उजरदारी पत्र) पर जारी किया गया, जो मिसल संलग्न है। उपरोक्तानुसार मिसल का अवलोकन करने पर रा०प०रा०नियम, 1996 के नियम 157(1) पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत सम्पूर्ण कार्यवाहीयों का होना पाया गया। जिस पर पंचायत कोरम दिनांक .. के प्रस्ताव संख्या.....के अनुसार प्रार्थी श्री/ श्रीमती.....पिता/पत्निश्री.....जाति.....उम्र.....वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला.....वार्ड संख्या.....ग्राम.....तहसील.....जिला.....को पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार से है :-

दिशा	विवरण	लम्बाई फीट में
पूर्व दिशा		
पश्चिम दिशा		
उत्तर दिशा		
दक्षिण दिशा		

इस प्रकार निर्मित पैतृक मकान का क्षेत्रफल.....वर्ग गज है। साथ ही प्रार्थी को हिदायत दी गई कि अपने नाले-परनाले, छज्जे, खिडकियां, रोस अपने पट्टें की भूमि में रखेगा। पट्टा प्रार्थी को पंचायत कोष में.....रूपये पट्टा शुल्क मय विकास शुल्क जमा कर रा०प०रा०नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जमा कर पट्टा दिया जाना तय हुआ।

फैसला बाइजलास पढ़कर सुनाया गया, सुनकर हस्ताक्षर किये गये।



## आज्ञाओं की सूची

### ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....जिला.....राजस्थान  
पट्टा मिसल संख्या.....वर्ष.....

क्र. सं.	दिनांक	कार्यवाही का विवरण	आगामी सुनवाई दिनांक	हस्ताक्षर
		<p>आज दिनांक .....को प्रार्थी श्री / श्रीमति ..... पिता / पति..... जाति.....निवासी..... हल्का आबादी क्षेत्र .....तहसील ..... जिला ..... में अपने पैतृक मकान पट्टा चाहने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है आवेदन पत्र के साथ मे रा०प०रा०नियम, 1996 के नियम 145 के अनुसार पट्टा आवेदन शुल्क 20/-रुपये स्थल निरीक्षण शुल्क 25/-रुपये एवं नवक्षा शुल्क 25/-रुपये कुल सत्तर रुपये मात्र पंचायत कोष में जमा कराये गये। रसीद नं..... दिनांक ..... .....राशि 70/- द्वारा जमा किये गये।</p> <p>पत्रावली कोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई, पंचायत कोरम के प्रस्ताव अनुसार पत्रावली दर्ज रजिस्टर(प्ररूप 21)कर सम्पत्ति संम्बंधित सूचना बाद इस्तगासी से स्वघोषणा शपथ पत्र प्रेषित करने सूचित किया जावें। निर्णय लिया साथ ही रा०प०रा०नियम, 1996 के नियम 146 के अनुसार मौके पर जा कर मौका पर्चा रिपोर्ट मुर्तीव करने का निर्णय लिया। स्थल निरीक्षण ( मौका रिपोर्ट ) हेतु 3 वार्ड पंचों की कमेटी गठित की जाती हैं।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री / श्रीमती.....वार्ड पंच वार्ड सं0.....ग्राम.....</li> <li>2. श्री / श्रीमती.....वार्ड पंच वार्ड सं0.....ग्राम.....</li> <li>3. श्री / श्रीमती.....वार्ड पंच वार्ड सं0.....ग्राम..... जो पंचायत कोरम मे मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करें।</li> </ol>		


पत्रावली कोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई । पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया गया है कि प्रार्थी इस्तगासी श्री / श्रीमति .....पिता/पति .....जाति.....निवासी.....  
.....हल्का पटवार .....तहसील .....  
जिला ..... का मकान उसके पिता/पति श्री.....  
...पिता श्री .....जाति.....द्वारा अर्जीत/  
उनके पैतृक विरासत का मकान होना स्पष्ट होता हैं। इस्तगासी श्री / श्रीमति .....पिता/पति .....जाति.....  
निवासी..... हल्का पटवार .....तहसील ....  
.....जिला ..... को उनके पैतृक हिस्सेवार विरासत में प्राप्त हैं। एवं उसके भाई भाग्यों एवं पड़ौसियों को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं हो पूर्ण रूप से सहमति हैं तथा उक्त मकान पर परिवार का कब्जा ( 30 दिसम्बर 1996 से ) 50 वर्षों से कम/अधिक पुराना है। सदन द्वारा विचार विमर्श कर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (पंचायतीराज) द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक:एफ 4( ) पट्टा आवं/विधि/पंरा/2017/266 जयपुर दिनांक 05.04.2017 की पालना एवं पं0रा0नि0, 1996 के नियम 147 के तहत भूमि विक्रय का अस्थाई निर्णय लेते हुए पं0रा0नि0, 1996 के नियम 148 के अन्तर्गत सात (07) योम का आपत्ति नोटिस (उजरदारी पत्र) जारी करने का निर्णय लिया गया। पत्रावली बाद मियाद अवधि बीत जाने पर सदन में प्रस्तुत हो।

आज दिनांक..... को पत्रावली कोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई । पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया गया है कि कार्यालय हाजा से दो प्रति में आपत्ति इश्तियार जारी कर एक प्रति मौके पर पंचायत मुहर से चर्स्पा करा दुसरी प्रति पर चर्स्पा किया की शादन में दो पड़ौसीयान गवाहनों के हस्ताक्षर कराये गये। पत्रावली बाद इश्तियार की अवधि समाप्ति के कोरम बैठक में प्रस्तुत करके दिनांक .....को कार्यालय हाजा से जारी एवं दिनांक .....को मौके पर चर्स्पा आपत्ति इस्तियार की समयावधि 07 सात योम समाप्ति के बाद किसी पड़ौसी या इस्तगासी के भाई भाग्ये का अथवा अन्य किसी की आपत्ति प्रत्र प्राप्त नहीं होने से एवं किसी भी व्यक्ति के सुखाचार को प्रभावित नहीं करने तथा परिक्षेत्र की सुन्दरता एवं सफाई को प्रभावित नहीं करने के कारण कोरम में उपस्थित सभी

पंचो ने इस्तगासी श्री / श्रीमति .....पिता/पति .....  
.....जाति.....निवासी.....ग्राम .....

तहसील ..... जिला ..... का मकान विवाद रहित है तथा  
उक्त मकान पर परिवार का कब्जा ( 30 दिसम्बर 1996 से ) 50 वर्षों  
से कम/अधिक पुराना है। उक्त मकान के स्वत्व एवं स्वामित्व का  
पैतृक विरासत में प्राप्त मकान का अबोध रूप से स्थायी मानते हुए  
पुराने गृहों का विनियमितिकरण अन्तर्गत राजस्थान पंचायतीराज  
नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत नियमानुसार शुल्क राशि  
पंचायत कोष में नगद जमा ले पैतृक मकान का पट्टा जारी करने  
सर्व सहमति से निर्णय लिया गया प्रार्थी द्वारा उक्त मकान के  
सम्बन्ध में किसी प्रकार का न्यायिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है  
और विवाद होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

पंचायत कोरम बैठक दिनांक .....के संकल्प संख्या.....के द्वारा  
पूर्व कोरम बैठक दिनांक.....संकल्प संख्या.....की पुष्टि के  
पश्चात् कोरम व अध्यक्ष की आज्ञा से रसीद बुक संख्या.....रसीद  
संख्या.....दिनांक.....से पट्टा शुल्क राशि.....कुल.....  
.....मात्र नगद पंचायत कोष में  
जमा लेकर आज दिनांक.....को पट्टा संख्या .....  
बुक संख्या.....जारी कर पत्रावली फैसले में शुमार हो फाईल की  
गई।



## पट्टा पत्रावली में किये जाने वाले हस्ताक्षरों का विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर—

1. सरवर्क मिसल सूची कागजात पृष्ठ संख्या 1 पर सारणी के नीचे एक जगह पर
2. आज्ञाओं की सूची प्रत्येक पृष्ठ पर दो जगह पर
3. प्रार्थना पत्र पर एक जगह
4. चेक लिस्ट पर एक जगह
5. सभी फोटोस्टेट संलग्नक पर स्वहस्ताक्षरित
6. शपथपत्र के दोनों पृष्ठों पर तीन जगह
7. मकान के फोटो ग्राफ पर
8. निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र पर तीनों पृष्ठ पर प्रत्येक के नीचे
9. फैसला फार्म पर नीचे एक जगह पर

पडोसियों के हस्ताक्षर— बयान फार्म पर दोनों पर चारों पडोसियों के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर— शपथ—पत्र पर दो जगह एवं उनकी आई0डी0 पर भी

वार्ड पंच के हस्ताक्षर— निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र पर तीनों जगह एवं फैसला फार्म पर सभी वार्ड पंचों के हस्ताक्षर पंचायत चपरासी हस्ताक्षर — आपत्ति नोटिस के पीछे— श्रीमान्‌जी के आदेशानुसार नोटिस तामिल कराया लिखकर हस्ताक्षर कराने एवं दो व्यक्तियों के गवाही के हस्ताक्षर मय नाम/पिता व पति का नाम व जाति लिखकर कराने सरपंचजी के हस्ताक्षर—

1. सूची कागजात सरवर्क मिसल में सारणी के नीचे हस्ताक्षर कराने
2. प्रार्थना पत्र वर
3. आज्ञाओं की सूची पर प्रत्येक पृष्ठ पर 6 जगह
4. निरीक्षण रिपोर्ट पंच गण प्रपत्र पर तीनों जगह
5. आपत्ति नोटिस के आगे एवं पीछे
6. फैसला फार्म पर